

बाद सं- 230/09
23/1/25

आंगू बानाम देवीलाल

पत्रावली पेश नुपी उपयुक्त
पीछारीम अतिरिक्त अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। प्रभावली साविक आदेश
दिनांक 3/2/25 को पेश हो।
आदेशी सिद्ध

3/2/25 - प्रभावली पेश हुई। कादी 31/1/03/40
प्रकरण आदीक उक्ति में दिनांक 3/2/25
को पेश हो

5/3/25 - प्रभावली पेश हुई। कादी 31/1/03/40
प्रकरण में कादी- प्रतिवादीका के कोई नोटिस
जादी विपणनकार कादनाकर प्रभावली
दिनांक 1/4/25 को पेश हो

1/4/25 प्रभावली पेश हुई। कादी की अदालती नोटिस
बाद तलनी जाए हो गए हैं। कादी एवं प्रतिवादीका
के अदालती नोटिस बाद शामिल जाए हो गये हैं।
प्रतिवादी आदी- उपा- प्रतिवादी सं- 1 की मृत्यु
की सूचना समान की पुस्तक पर (जर्मन का की
प्रभावली सं- 31/1/09 में) होकर जाए हुई है। कादी
की नियमानुसार तीन बार आवेजें लगावाई गई,
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। कादी के उपस्थित
नहीं आने से कादी द्वारा उक्त बाद अनर्गल
द्वारा 188 शकमान कादनाकारी आदी विपणन
को अदम लावनी। अदम पानी में जारि विपण
जाल है। निर्णय करे स्वलास सुनाया गया।
रिडी पचा जारी है।

प्रभावली मासल सुमार लकर
जाल लाल हो तथा नम्बर से कम हो।
1/4/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मांगू पुत्र रूपाजी अहीर जाति अहीर आयु बालिग पेशा कृषि निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. देबीलाल पुत्र भवाना जाति अहीर आयु बालिग पेशा कृषि निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रतनी पत्नी देबीलाल अहीर आयु बालिग निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गोपाल पुत्र देबीलाल अहीर आयु बालिग निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत स्थायी निषेधाज्ञा**

प्रकरण संख्या 230/2009 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री आर0एन0 गुप्ता अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 01.04.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा